पत्र संख्या :– 01स्था (क्षे0)–14 / 2022....1273........../

झारखण्ड सरकार

पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल,एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा,राँची–834004

e-mail:- panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

निशा उराँव, भा0रा0से0,
निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड।

सेवा में,

अत्यावश्यक
फैक्स / ई-मेल

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक :– 26.5.2023

विषयः– **पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना से संबंधित दिशा निर्देश।**

प्रसंगः– **विभागीय संकल्प संख्या 626 दिनांक 18.03.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक संकल्प के द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत पंचायत सचिवालय के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रति माह 15,000/– रूपये ग्राम पंचायतों को बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाना है। उक्त राशि के अतिरिक्त पंचायतों को जीवंत करने हेतु अन्य अपेक्षित कार्य भी ससमय पूर्ण कर लिया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

1. **बजटीय उपबंध के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को राशि आवंटित की जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी योजना अन्तर्गत पंचायत को अनुमान्य राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करते हुए ग्राम पंचायत के खाते में इलेक्ट्रोनिकली अंतरित करेंगे। राशि का अंतरण त्रैमासिक किया जाएगा।** बैंक खाता में प्राप्त सूद की राशि का व्यय अग्रकथित अनुमान्य गतिविधियों के अतिरिक्त आदेयता में अनुमान्य होगा। **विभाग द्वारा राशि आवंटन की तिथि से 10 कार्य दिवस के अंदर पंचायतों को राशि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।** विनिर्दिष्ट अवधि में राशि अंतरण नहीं होने पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के विरूद्ध विधि सम्मत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. बैंक खातों का समय–समय पर Reconciliation एवं अंकेक्षण कराया जाएगा। अनुमान्य गतिविधियों पर राशि का ससमय व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित तथा राशि व्यय के अभिश्रव समर्थित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक–1) जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक प्रति पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखते हुए अतिरिक्त प्रति प्रखण्ड समन्वयक को संधारण हेतु प्रेषित की जाएगी। पंचायतों द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 12सी0 में विभाग को प्रेषित किया जाएगा। **विहित अवधि (तिमाही की समाप्ति की तिथि) के तीस दिन पूर्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत से पत्र के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा विहित अवधि की समाप्ति के 15 दिन पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना अनिवार्य होगा।**

4. **सभी पंचायत भवन में प्रज्ञा केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखा, ए0टी0एम0 एवं राजस्व उप निरीक्षक कार्यालय हेतु स्थान/कमरा चिन्हित कर लिया जाय।** राजस्व उप निरीक्षक कार्यालय के लिए उपस्कर की व्यवस्था पंचायत भवन में उपलबध उपस्कर से अनुमान्य होगा। बैंक शाखा अंतरित करने हेतु एल0डी0एम0 तथा बी0एल0बी0सी0 के साथ बैठक कर तीन माह के अंदर कार्रवाई पूर्ण कर ली जाय।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित प्रज्ञा केन्द्र के संचालकों को पंचायत भवन में चिन्हित कमरों में प्रज्ञा केन्द्र संचालन हेतु निदेशित किया जाय।
6. जिला स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों (पोस्ट ऑफिस, बैंक, पेमेन्ट बैंक संचालक) की बैठक आयोजित कर पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस/बैंक/ए0टी0एम0 अधिष्ठापित एवं संचालित करने हेतु प्रेरित किया जाय।
7. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1152 दिनांक 22.03.2023 के आलोक में सभी अंचल पदाधिकारियों को राजस्व उप निरीक्षक के लिए पंचायतवार (प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह दो कार्य दिवस) उपस्थिति का रोस्टर तैयार कर जनसाधारण की सूचना हेतु परिचारित करने हेतु निदेशित किया जाय।
8. पंचायत सचिवालय भवन में साफ–सफाई (परिसर, कमरे, वास–बेसिन एवं शौचालय–मूत्रालय) के लिए अंशकालीन सेवा एवं सामग्री प्राप्त की जाय।
9. परिसर की सुरक्षा एवं कार्यालय में सहयोग हेतु सेवा हेतु भुगतान अनुमान्य होगा।
10. इन्टरनेट के एवज में भारतनेट द्वारा निर्धारित मासिक दर अथवा अन्य स्त्रोत से इन्टरनेट सम्पर्क लेने पर 100 एम0बी0पी0एस0 गति के लिए सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप मासिक राशि अनुमान्य होगी। भारतनेट अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अन्य सेवा प्रदाता के इन्टरनेट का उपयोग किया जा सकेगा।
11. जेनरेटर की मरम्मति एवं ईंधन इत्यादि तथा बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिष्ठापित उपकरण की मरम्मति पर आगत व्यय अनुमान्य होगा।
12. उक्त मदों में राशि व्यय के पश्चात् उपलब्ध शेष राशि से प्राथमिकता से बिजली बिल भुगतान, कार्यालय हेतु स्टेशनरी (मासिक आवंटन का अधिकतम 8 प्रतिशत) तथा संकल्प संख्या 626 दिनांक 18.03.2023 की कंडिका 12 में वर्णित गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी।
13. इस योजना के तहत सेवा प्राप्ति एवं सामग्री क्रय के लिए राज्य सरकार के निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. प्रखण्ड समन्वयक, पंचायत राज स्वशासन परिषद अपने प्रखण्ड की सभी पंचायतों में इस योजना के अन्तर्गत अपेक्षित कार्य में समन्वय हेतु कार्य करेंगे। तकनीकी सहयोग वित्त आयोग अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों से प्राप्त किया जा सकेगा।
15. इस योजना में अंशकालीन कर्मी, प्रहरी, अनुसेवक, सफाई कर्मी इत्यादि कर्मी ग्राम पंचायत के पूर्णकालिक कर्मी नहीं होंगे, अतः उनके अन्यत्र कार्य करने अथवा निजी व्यवसाय पर रोक नहीं होगी बशर्ते ग्राम पंचायत के हितों के साथ टकराव न हो।
16. सामग्री क्रय, भण्डारण एवं उपयोग में राज्य सरकार के एतद् विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
17. सभी भुगतान बैंक खाता में किया जाएगा। भुगतान करने में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के भुगतान संबंधी वित्तीय नियमों, शर्तों का अनुपालन, सेस, स्त्रोत पर कर कटौती इत्यादि अनिवार्य होगी।

18. पंचायत को अनुमान्य राशि की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी अर्थात किसी माह में अनुमान्यता से अधिक राशि की आदेयता उत्पन्न होने पर उसे अनुवर्ती दो माह में अनुमान्यता अनुरूप राशि से समायोजित किया जा सकेगा।
19. राशि का अपव्यय, अनावश्यक व्यय, निष्फल व्यय का मामला सिद्ध होने पर अधिक भुगताई की गई राशि का 50 प्रतिशत मुखिया एवं 50 प्रतिशत पंचायत सचिव से वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव एवं मुखिया पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
20. योजना से संबंधित किसी कार्य एवं व्यय की स्वीकृति ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्राप्त कर ली जाएगी। कार्यकारिणी के बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ प्रखण्ड विकास कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
21. योजना के क्रियान्वयन एवं राशि व्यय में विभाग स्तर से निर्गत स्वीकृत्यादेश में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

26/05/23
निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड।

ज्ञापांक :– 01स्था (क्षे0)–14/2022.....1273...../, राँची, दिनांक :–26.5.2023

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, झारखण्ड/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, स्वशासन परिषद, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड।

ज्ञापांक :– 01स्था (क्षे0)–14/2022.....1273...../, राँची, दिनांक :–26.5.2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
पंचायत राज, झारखण्ड।

अनिल/26.05.2023